

## परिशिष्ट

### (देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

#### भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

##### परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम  
का संक्षिप्त विवरण।

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र  
जागेश्वर के अंतर्गत जागर से भाँगादेवली  
लिंक मोटर मार्ग। लम्बाई 3.00 किमी।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि  
और उसके आस-पास के वनों की  
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

पतावली में संलग्न है

ग) परियोजना की लागत।

23.44 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण  
किया गया तकनीकी दृष्टि से वैकल्पिक  
स्थान निरस्त किये गये।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये  
जानेके लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की  
संभावना है।

कुटीर उद्योग/फल सब्जी/अनेक रोजगार

2.

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार  
विवरण।

सिविल वेनाप भूमि	-	0.040 है0
वन पंचायत भूमि	-	0.338 है0
नाप भूमि	-	2.322 है0
<b>कुल भूमि</b>	<b>-</b>	<b>2.700 है0</b>

3.

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का  
विवरण, यदि कोई है।

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।

क) परिवारों की संख्या

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के  
परिवारों की संख्या

शून्य

- ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) लागू नहीं है।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ) नहीं
- के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके संलग्न है।  
 अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक  
 वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य  
 सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के  
 अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र  
 आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता  
 (वचनवद्धता संलग्न की जाये)  
 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण  
 पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा । संलग्न है।

दिनांक 26.3.15

स्थान नोडल

  
 (इ0 चन्दन सिंह नेगी)  
 अधिशासी अभियन्ता,  
 अन्तर्राष्ट्रीय खण्ड, लो००नि�००वि०,  
 अल्मोड़ा

प्ररताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

### प्रारूप—3

#### भाग—2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र

(ii) जिला

(iii) जिला वन प्रभाग

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति:

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत रथल या प्रतिरक्षात्मक रथापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण रकीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

## प्रारूप—4

भाग—3

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां / नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दो गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की रचीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थानः

हस्ताक्षर

तारीखः

नाम

शासकीय मुद्रा

### आध्याय—३

## वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन हेतु आवश्यक प्रपत्र सूची उनका प्रारूप

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, परियोजना एवं जलवायु परिवर्तन मञ्चलय द्वालि समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं को स्थानान्तरण हेतु वन संख्या अधिनियम, 2014 द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन लाईन (On-line) रूपान्तर किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 15-०८-2014 से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वारत संख्या के पोर्टल [www.moeef.nic.in](http://www.moeef.nic.in) पर ऑन लाईन अपलोड किया जाने अनिवार्य किया गया है। वारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज के हारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को एक पूर्ण ग्रंथि तैयार की जानी है, जिसमें समस्त सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने हैं तथा इन प्रपत्रों/सूचनाओं में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की सहमति/हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज हारा ऑन लाईन अपलोड किये जा रहे वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ बौद्धित सूचनाये भरतने हेतु की जा रही है वे उल्लिखित प्रस्ताव ऑन लाईन नाडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्थानान्तरण प्राप्त करने हेतु प्राप्त किया जा रहा है अधूसे प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की रवीकृति प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है।

3.2 भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मञ्चलय हारा, समय-समय पर जली दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संहिता को जाने वाली संख्या सूचनाओं/प्रपत्रों को एक समंकित दैक टिल्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव के साथ भरतने की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण एवं अलग-अलग प्रयोजनों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों की सूचना निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

### आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची सारणी—१२

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी	विभाग/अधिकारी
1.	संक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/रमेश्वारी का प्रमाण-पत्र	१	प्रस्तावक	प्रस्तावक*
3.	भारत सरकार हारा निर्धारित प्रपत्र भाग—१	२	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4.	भारत सरकार हारा निर्धारित प्रपत्र भाग—२	३	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
5.	भारत सरकार हारा निर्धारित प्रपत्र भाग—३	४	वन संरक्षक	वन संरक्षक
६.	परियोजना की विस्तृत एवं प्रशासनिक रचीकृति।	५-	प्रस्तावक	—
७.	सम्बन्धित विस्तृत हारा लैंडल वे नमूने संग्रह निश्चयण रिपोर्ट।	६	उप-जिलाधिकारी की अधिकारी वाली समिति	समिति के सदस्य
८.	भारत सरकार हारा निर्धारित प्रपत्र का अग्रणीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	७	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
९.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफ का मानवित जिसमें प्रस्तावित नमूने को अगल-अलग रूपों से दर्शाया गया हो।	८	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०/जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व री०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिम के साथ दर्शाया गया।	९	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०/जिलाधिकारी
	गूगल मानवित जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	१०	प्रस्तावक	प्रस्तावक/

11.	दर्शाया गया हो।			डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आल्या।	11	प्ररतावक	प्ररतावक
13.	गुगल मानविक्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्ररतावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक सेरेखण तत्त्वाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्ररतावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की गौण न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14	प्ररतावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी०एफ०ओ०
16.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शेड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रज्ञातिवार / व्यासवार विवरण।	19	डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
21.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मृत्युकंक्ष - सारांश।	20	डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
22.	वार्तविक रूप से कार्ट जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
23.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आल्या एवं प्रमाण-पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	23	डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	24	डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
26.	परियोजना स्थल का सार्वीय पार्क / वन्य जीव अभ्यासण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	25	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के हिस्ये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यासण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्ण मात्र उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	-
29.	प्रभावित होने वाले गार्मी की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा जिर्मानित प्रपञ्चों में लागत लाग विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाग विश्लेषण के प्रपञ्चों में परियोजना स होन वाले अधिक सामाजिक एवं पारिस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हो से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्ररतावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का भद्रवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्ररतावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०

33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू-वैज्ञानिक	भू-वैज्ञानिक
35.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉर्स्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्त मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/पृथिवीसिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	37	जिलाधिकारी/प्रस्तावक	जिलाधिकारी/प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनरप्तियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
41.	लाभान्वित होने वाले ग्राम/जनसमाज/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
42.	जिलाधिकारी द्वारा निर्दोषित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
43.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण को दर्शवार्तीय योजना का प्रावक्तव्य मध्य मान्यता। (1.00 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	₹०एफ०आ०	₹०एफ०आ०
44.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	43	₹०एफ०आ०	₹०एफ०आ०
45.	150,000 पैमाने की टोपोशीट का मान्यता जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षित हो।	44	प्रस्तावक/₹०एफ०आ०	प्रस्तावक/₹०एफ०आ०
46.	रंगीन गूँगल मान्यता जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षित हो।	45	प्रस्तावक/₹०एफ०आ०	प्रस्तावक/₹०एफ०आ०
47.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्रावक्तव्य।	46	₹०एफ०आ०	₹०एफ०आ०
48.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि ऐर वन भूमि व्यवस्था राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	47	प्रस्तावक/भूदानी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
49.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबंध।	48	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
50.	मक डिपोजिल की विरत्तत सोजना, मान्यता व उपचार कार्यों का प्रावक्तव्य।	49	प्रस्तावक/₹००एफ०आ०	प्रस्तावक/₹००एफ०आ०
51.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देव एन०पी०आ० की धनराशि का आंकड़न।	50	₹०एफ०आ०	₹०एफ०आ०
52.	एन०पी०आ० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	51	प्रस्तावक	प्रस्तावक
53.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्रावक्तव्य।	52	₹०एफ०आ०	₹०एफ०आ०
54.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53	₹०एफ०आ०/प्रस्तावक	₹०एफ०आ०/प्रस्तावक
55.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54	₹०एफ०आ०	₹०एफ०आ०/प्रस्तावक
56.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व	55	₹०एफ०आ०/	₹०एफ०आ०/

58.	कैट प्लान की धनराशि जगा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।		उच्चरतरीय समिति	प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागे हो)	56.	प्रस्तावक	—
60.	कालातीत लीजो के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57.	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
	प्रस्ताव को भारत सरकार की बेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी०डी० पी०डी०एफ० फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	—

नोट :—उक्त समेकित चैक लिस्ट में समरत बन भूमि हरतान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का वेवरण उल्लिखित है। प्रयोगता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोगन हेतु इग्रेट प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

### 3.3 सङ्कों के निर्माण हेतु बन भूमि हरतान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र

एवं सूचनाये

सारणी—13

क०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण- पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हरताक्षर किये जाने हैं।
1.	2	3	4	5
1.	सङ्कों के चौड़ीकरण के मामलों में पूर्व निर्मित मार्ग एवं चौड़े किये जाने वाले मार्ग के भाग को बार चार्ट में आलग से दर्शाया जाना।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
2.	पूर्व में निर्मित मार्ग की स्वीकृति।	2	प्रस्तावक	—

### 3.4 सीमा सङ्क संघठन द्वारा सङ्कों के निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनाये।

सारणी—14

क०सं०	प्रपत्र का विषय	प्राप्त संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण- पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हरताक्षर किये जाने हैं।
1.	2	3	4	5
1.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना समतुल्य बन भूमि की बनायी जानी है।	1	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यदि शिविल सोयम भूमि उपलब्ध न हो तो अवनत आरक्षित बन भूमि में दसवर्षीय योजना।	2	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०